*शहरी व्यष्टि वित्त को समर्थ बनाना**

दीपाली पंत जोशी

प्रारंभ में मैं इस सम्मेलन की विषय-वस्तु 'शहरी व्यष्टि वित्त को समर्थ बनाना' के लिए अतिरिक्त सचिव महोदय को बधाई देना चाहती हूँ, जो सही मायने में उपयुक्त है क्योंकि यह शहरी गरीबी से संबंधित मुद्दों को केन्द्र में लाने का उपक्रम करता है। भारत में शहरी गरीबी का मान विचलित करनेवाला है। वर्तमान अनुमान यह संकेत करते हैं कि 100 मिलियन गरीब लोग शहरी बस्तियों में रहते हैं जिनमें 40 प्रतिशत शहरी गरीब शामिल हैं। इन संख्याओं के बढ़ने का अनुमान है। पूर्वानुमान यह है कि भारत की कुल शहरी आबादी कुल जनसंख्या के 26 प्रतिशत से बढ़कर अगले पच्चीस वर्षों में 36 प्रतिशत - 50 प्रतिशत से भी अधिक होगी। शहरी गरीबों की संख्या बढ़कर 200 - 300 मिलियन हो जाएगी। जब तक शहर व्यापक हो रही जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर सकते, तब तक आर्थिक अवसर शहरी गरीबों के लिए जो लाभ प्रस्तुत कर सकते हैं वे नीति-निर्धारकों के लिए इन कारकों द्वारा अधिक भारी हो जाएँगे। इसलिए इसका अर्थ है कि शहरी विकास की विशेषताओं को अवश्य समझा जाना चाहिए तथा भारत में समग्र रूप से गरीबी को कम करने के लिए पहलों में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से आम राय यह है कि आर्थिक विकास के द्वारा गरीबी का समाधान अत्यंत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जिसके लिए तीव्र शहरी विकास मुख्य प्रेरक है। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान का अनुमान है कि शहरी भारत वर्तमान में देश की जीडीपी के 50 प्रतिशत से भी अधिक अंशदान करता है जबकि उसकी एक तिहाई से भी कम जनसंख्या को स्थान देता है तथा इस अंशदान के 60 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक गतिशील घटक हैं, प्रधान रूप से शहरी हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि के लिए आयकर से छूट प्राप्त होने के कारण अर्थव्यवस्था का राजकोषीय आधार भी अनुपातहीन ढंग से शहरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है क्योंकि ऐसे लोगों का अनुपात जो शहरी क्षेत्रों में इकट्ठे हो रहे हैं, निरंतर बढ़ रहा है। इस बढ़ते आर्थिक आधार से लाभ उठाने के लिए अवसर अधिक निर्धन जनता के लिए अपरिमित हैं। प्रायः अनियोजित और अविनियमित शहरीकरण के परिणामस्वरूप शहरी निर्धन लोग शारीरिक, परिवेशगत, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करते है। ये समस्याएँ शहरी गरीबों पर अस्वस्थता और असमानता का भारी बोझ लाद देती हैं। वे गंदी और असुरक्षित बस्तियों में निवास करने के लिए विवश हैं तथा परिवेशगत अपकर्ष का शिकार बनते हैं जिसके परिणामस्वरूप अस्वस्थता, अशक्तता और अर्जन की हानि से ग्रस्त होते हैं। जैसे-जैसे नगर बढ़ते हैं, मौजूदा सेवाओं और संबद्ध बुनियादी संरचना पर दबाव बढ़ जाता है जिसके कारण ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि होती है जो इन सेवाओं तक पहुँच नहीं रखते। अतः निर्धन लोग और इस कारण से सर्वाधिक अरक्षित लोग अपवर्जित होते हैं तथा अनौपचारिक क्षेत्र के माध्यम से निम्नतर गुणवत्ता के उत्पादों के लिए उच्चतर कीमतें अदा करते हुए काम निकाल लेते हैं। विडंबना यह है कि यह तो गरीब लोग ही हैं जो अत्यावश्यक सेवाएँ प्रदान करते हैं जिससे नगर कार्यरत रहते हैं। निर्धनों के लिए सेवा-व्यवस्था की समस्या इस तथ्य से संयोजित है कि निर्णायक आवश्यक रूप से उनकी आवश्यकताओं को नहीं जानते अथवा उनके नागरिक अधिकारों को नहीं पहचानते। रोजगार के अवसर शहरी क्षेत्रों में तीव्र रूप से प्रतिबंधित हैं। निर्धनों की मुख्य परिसंपत्ति अपने श्रम को बेचने की उनकी क्षमता है। सहारा लेने के लिए उनके पास कुछ अन्य परिसंपत्तियाँ हैं। उनका आवास किराये पर लिया हुआ हो सकता है अथवा निवास करने योग्य नहीं हो सकता है, उनके पास शहरों में अपनी जमीन या पूँजी अथवा पशुधन नहीं होगा तथा गाँव में पीढ़ियों से घर-परिवारों द्वारा निर्मित सामाजित नेटवर्क गतिशील शहरी संदर्भ में कम मजबूत हैं जहाँ लोग आते हैं और जाते हैं। वहाँ रोजगार की हमेशा कमी है; गरीब लोग आवश्यक रूप से आधुनिक उद्योग और नवजात सेवा क्षेत्र में नये-नये अवसरों का लाभ उठाने के लिए कौशल और प्रशिक्षण से युक्त नहीं हैं। विस्तृत हो

*डॉ. दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में 16 सितंबर 2013 को अल्पसंख्यक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन तथा एमएवीआईएम राज्य महिला विकास निगम द्वारा आयोजित 'शहरी वित्त को समर्थ बनाने की चुनौतियाँ' पर सम्मेलन में दिया गया मुख्य भाषण।

रही श्रमशक्ति को खपा लेने के लिए औपचारिक मजदूरी क्षेत्र असमर्थ रहा है। इसके परिणामस्वरूप अनौपचारिक क्षेत्र और रोजगार के आकस्मिकीकरण में भारी वृद्धि रही है, मजदूरी को घटने पर विवश किया गया है, कार्य करने की परिस्थितियों की रक्षा नहीं की गई है तथा अवसरों की अविनियमित पहुँच को व्यक्तियों की क्षमता द्वारा मध्यस्थित किया गया है। शहरी संदर्भों में निर्धन लोगों की सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने का एक मार्ग स्वयं-सहायता योजनाओं को व्यष्टि आयोजना ऋण विस्तार अथवा प्रत्यक्ष परिचालन और बुनियादी संरचना के अनुरक्षण के रूप में लिप्त करने के अतिरिक्त राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास समितियों (सीडीएस) के रूप में संगठित प्रतिवेशित्व समूह बनाने के माध्यम से है। सीडीएस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लाभ प्राप्त करने के लिए बुनियादी संरचना का निर्माण कर सकती है। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच गरीब जनता के लिए दोनों सामाजिक विकास और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण पहलू है। ये सेवाएँ निम्न ब्याज वाले ऋण तक पहुँच के लिए अवसर का निर्माण करती हैं जिनका उपयोग कौशल-संवर्धन अथवा व्यष्टि उद्यम वृद्धि के लिए किया जा सकता है। यह संकट के विरुद्ध एक प्रतिरोधक के रूप में बचत और ऋणों का उपयोग करने के लिए भी एक अवसर निर्मित करता है। घर-परिवार जितने गरीब हैं, उतनी ही अधिक इच्छा करनी होगी कि वित्तीय सेवाओं को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल एवं उन्नति के लिए एक स्प्रिंग-बोर्ड के रूप में बचाकर रखना होगा।

मुख्य धारा के वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ लोगों को जोड़ने के लिए हमें शहरी क्षेत्रों के लिए वित्तीय समावेशन की आवश्यकता है ताकि वे मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के समूचे समूह तक पहुँच सकें। मैं देखती हूँ कि इसके घटित होने तक व्यष्टि वित्त के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। परंपरागत विज्ञता के अनुसार व्यष्टि वित्त सेवाओं तक पहुँच निर्धन जनता को अपने उपभोग को सरल बनाने, अपने जोखिमों का बेहतर प्रबंध करने, अपनी आस्तियों का निर्माण करने, अपने व्यष्टि उद्यमों का विकास करने, अपनी आय अर्जन क्षमता को बढ़ाने तथा एक सुधरी हुई गुणवत्ता वाले जीवन का आनंद लेने के लिए समर्थ बना सकती है। व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एमएफआई) के प्राथमिक ग्राहकवर्ग के अंतर्गत प्रायः परिभाषा के अनुसार ऐसे लोग आते हैं जो पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय उत्पादों तक पहुँचने के लिए तीव्र अवरोधों का सामना करते हैं। इन अवरोधों में मुख्य रूप से अधिक परिचालन लागतें और जोखिम के कारक हैं। शहरी क्षेत्रों में एमएफआई ग्राहकवर्ग के पास कुछ परक्राम्य आस्तियाँ हो सकती हैं और वे ऐसे प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं जहाँ संपत्ति संबंधी अधिकारों और अन्य संविदाओं का प्रवर्तन खर्चीला और अनिश्चित है। एमएफआई छोटे सेवा उद्यमों तथा कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट रूप से सहारा देने में और बाजार उपलब्ध कराने में सहायता कर सकती हैं। कुटीर उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पारंपरिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। धारावी का कोलाहलपूर्ण शहरी परिक्षेत्र एक प्रसंगानुकूल उदाहरण है। वह बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न करता है तथा सहायक सेवाएँ प्रदान करता है। पूँजी के लिए कुटीर और छोटे उद्योगों की आवश्यकता बहुत बड़ी नहीं है तथा वे आय के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं। भारत में अनेक कारीगर आधारित समूह हैं, ये कुशलता-आधारित हैं और सरल विनिर्माण प्रक्रियाओं और तकनीक का प्रयोग करते हैं। इन समूहों में असंगठित क्षेत्र और अत्यंत लघु इकाइयाँ हैं जिनकी पहुँच बाजार की सूचना के प्रति कम है। यदि मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का समूचा दायरा उपलब्ध कराया जाए, तो इससे छोटी इकाइयाँ अपना स्तर बढ़ाने और वृद्धि करने में समर्थ हो जाएँगी। शहरी गरीबी की समस्याओं का समाधान केवल लघु सेवा/विनिर्माण उद्यमों को प्रोत्साहित करने के द्वारा ही किया जा सकता है जो रोजगार उत्पन्न करते हैं। एकत्रीकरण के लाभों और सकारात्मक बहिर्भावों के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। उधार के प्रति समूह आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य एमएसई क्षेत्र की विविध आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए एक पूर्ण सेवा दृष्टिकोण प्रदान करना है।मान्यताप्राप्त एमएसई समूहों को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने के द्वारा यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एक समूह आधारित दृष्टिकोण (क) सुपरिभाषित और मान्यताप्राप्त समूहों के साथ व्यवहार करने में (ख) जोखिम निर्धारण के लिए उपयुक्त सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने में (ग) ऋणदात्री संस्थाओं

द्वारा निगरानी में तथा (घ) लागतों में कमी प्राप्त करने में लाभदायक है।

संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) ने देश के विभिन्न भागों में 21 राज्यों में फैले हुए 388 समूहों की पहचान की है। सूक्ष्म, छोटे और मझौले उद्यम मंत्रालय ने भी 121 अल्पसंख्यक संकेन्द्रण वाले जिलों में स्थित पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (एसएफयूआरटीआई) तथा व्यष्टि और लघु उद्यम समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत समूहों की एक सूची को अनुमोदित किया है। तदनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि वे देश के अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों में रहनेवाले अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यष्टि और लघु उद्यमियों के अभिनिर्धारित समूहों को ऋण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए उचित कदम उठाएँ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे विभिन्न एमएसई समूहों के पास अधिक एमएसई फोकस वाले शाखा कार्यालय खोलें. जो एमएमई के लिए परामर्श केन्द्रों के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। जिले का प्रत्येक अग्रणी बैंक कम से कम एक समूह को अंगीकृत करे।

व्यष्टि वित्त का एक मॉडल जो अपेक्षाकृत रूप से सफल रहा है, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बैक सहबद्धता मॉडल है जो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और नागरिक समाज के संगठनों एवं वाणिज्य बैंकों की वित्तीय शक्ति और प्रबंधकीय विशेषज्ञता की अंतर्वेधी पहुँच का उन्नयन करता है। वर्ष 1992 में एक प्रयोग के रूप में छोटे पैमाने पर प्रारंभ करने के बाद उक्त स्वयंसहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम ने 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 10.3 करोड़ से भी अधिक निर्धन घर-परिवारों को समाविष्ट करते हुए 79.60 लाख बचत-संबद्ध स्वयंसहायता समूहों को संबद्ध किया है। तथापि, नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उक्त स्वयंसहायता समूह-बैंक सहबद्धता मॉडल का संकेंद्रण लगातार दक्षिणी राज्यों में स्थित है तथा यह बीआईएमएआरयू (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में समान रूप से व्याप्त नहीं है। दूसरा मॉडल पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का है। ये लाभ-अर्जक कंपनियों के रूप में कार्य करती हैं तथा पिरामिड के मध्यभाग में उद्यमकर्ता गरीबों को ऋण प्रदान करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिस पर मैं बल देना चाहती हूँ क्योंकि यह इस मॉडल की निरंतर आवश्यकता और प्रासंगिकता की खासियत को प्रस्तुत करती है। एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसे व्यष्टि वित्त के दोनों मॉडल निर्धनों के प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण के अत्यावश्यक क्षेत्रों में निभा सकते हैं। यह उन्हें बड़े ऋणों तक क्रमिक विकास करने तथा धारणीय, मापनीय, स्व-निर्भर उद्यमों और आय उत्पादक परियोजनाओं, जो अपने लिए स्वयं ही भुगतान कर सकते हैं, की स्थापना करने में समर्थ बनाती है। व्यष्टि वित्त की सर्वाधिक गंभीर परिसीमा यही है कि वह सभी आवश्यकताओं का समाधान समग्र रूप में नहीं करता। विस्तार की एक समस्या है और इसमें समावेशी वित्त का आश्वासन निहित है जो गरीब जनता को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के साथ संबद्ध करता है। एक सुस्पष्ट तुलनात्मक प्रतियोगी लाभ इसमें निहित है जो व्यष्टि वित्त प्रदान करने में वाणिज्य बैंक प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि वित्तीय समावेशन और आधारभूत बैंक जमा खाते विद्यमान हैं, अतः बैंकों को चाहिए कि वे अब गरीबों के लिए उत्पाद और सेवाएँ निर्मित करने के अगले कदम पर आगे बढ़ें। व्यष्टि वित्त संस्थाओं की तुलना में बैंकों के फायदे इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि वे स्वामित्व, वित्तीय प्रकटीकरण और पूँजीगत पर्याप्तता की आवश्यक पूर्व शर्तें, जो विवेकसम्मत प्रबंधन को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती हैं, पूरी करते हुए विनियमित होनेवाली संस्थाएँ हैं। उनके पास भौतिक बुनियादी संरचना और सीबीएस संबंधी बड़े नेटवर्क से युक्त शाखाएँ हैं जहाँ से अपनी पहुँच का विस्तार करना और भारी संख्या में अधिक गरीब ग्राहकों तक पहुँचना संभव है। उनके पास बड़ी संख्या में अधिक मात्रा वाले और अल्प मूल्य वाले लेनदेनों पर दृष्टि रखने के लिए भली भाँति स्थापित आंतरिक नियंत्रण तथा प्रशासनिक और लेखांकन प्रणालियाँ विद्यमान हैं। चूँकि वे अच्छी तरह पूँजी से युक्त हैं, अतः वे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)और एमएफआई की तरह दुर्लभ और अस्थिर दानी संसाधनों पर निर्भर नहीं हैं। बैंक बचत, विप्रेषण, ऋण और अन्य वित्तीय उत्पाद प्रदान करते हैं जो अब तक सेवा प्राप्त न करनेवाले व्यष्टि वित्त ग्राहकों के लिए प्रथम दृष्टि में आकर्षक हैं। तथापि, निम्न स्तर पर बैंकों के पास मुख्य उपादान, जिनमें से अधिकांश तो निम्न आय वाली जनता तक पहुँचने के लिए वित्तीय पद्धतियाँ हैं, नहीं हैं। बैंकों को बाधित करनेवाले

अनेक प्रश्न हैं। प्रतिबद्धता का प्रश्न स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। व्यष्टि उद्यम उधार के प्रति वाणिज्य बैंकों (विशेष रूप से बड़े बैंकों) की प्रतिबद्धता प्रायः मृदु है तथा सामान्य रूप से उनके संस्थागत अधिदेश में मूल रूप से निर्धारित निदेश की अपेक्षा एक या दो बोर्ड सदस्यों द्वारा दिये गये निदेशों पर निर्भर है। दूसरे, वे अपने संगठनात्मक संरचनाओं द्वारा प्रतिबाधित हैं। लचीलेपन, परिचालनगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाये रखते हुए बृहत्तर बैंक संरचना में निर्धनों के लिए कार्यक्रमों अथवा व्यष्टि वित्त कार्यक्रमों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। बैंकों के लिए कार्यकुशलता के साथ कार्य करने के लिए उपयुक्त वित्तीय कार्यपद्धति होनी चाहिए।किफायती अर्थव्यवस्था में लाभार्जन हेतु उनके लिए व्यष्टि उद्यम क्षेत्र और वित्तीय नवोन्मेषणों की सेवा करने के लिए उपयुक्त वित्तीय कार्यपद्धति की आवश्यकता है जो ऋण-पात्रता के किफायती विश्लेषण, अपेक्षाकृत निर्धन ग्राहकों की निगरानी और प्रभावी संपार्श्विक प्रतिस्थापकों की स्वीकृति को समर्थ बनाती है। इस स्थिति के होते हुए कि व्यष्टि वित्त कार्यक्रम पारंपरिक बैंकिंग से काफी मौलिक रूप से भिन्न हो जाते हैं, मानव संसाधनों के प्रति भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए बैंकों को आवश्यक है कि वे विशेषीकृत स्टाफ की भर्ती करें और उन्हें बनाये रखें। बैंक कार्मिकों के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहनों पर विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है। किफायत एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बैंकों की ऊपरी लागत को देखते हुए व्यष्टि वित्त कार्यक्रम प्रबंध करने के लिए खर्चीले हैं। इन सुस्पष्ट निर्बलताओं के बावजूद यदि बैंक इस संबंध में कार्य करें तो वे आदर्श रूप से व्यष्टि वित्त व्यवस्था के लिए उपयुक्त होंगे। स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना (एजेएसआरवाई) और जिला उद्योग केन्द्रों, जो इस कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लक्ष्य समूह को रोजगार का प्रशिक्षण देने के लिए अभिकल्पित हैं, के लक्ष्यीकृत हस्तक्षेपों ने केवल सीमित सफलता अनुपात प्राप्त किया है जो नीतिगत अभिकल्पन के विषयों में दुर्बलताओं के कारण उतना नहीं है जितना कि अपर्याप्त वितरणोत्तर ऋण पर्यवेक्षण और क्षमता निर्माण की कमी और बीच में सहारा देने के अभाव सहित त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन और कम लक्ष्यीकरण, संवितरण-पूर्व ऋण निर्धारण के अभाव के कारण है। स्पष्ट विजेता वित्तीय समावेशन है। बैंकों द्वारा शहरी गरीबों को प्रदत्त बचत ऋण व्यष्टि उद्यमों की वृद्धि में सहायता पहुँचा सकते हैं तथा आर्थिक संवृद्धि को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। मैं एक छोटे-से उदाहरण के साथ प्रारंभ करना चाहती हूँ। हर जगह दर्शनीय गली का पानवाला जो एक छोटा-सा स्वावलंबन का उद्यम चलाता है, ऐसे व्यष्टि उद्यमों को यदि बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है, तो वह अपने कारोबार का विस्तार कर सकता है और दो अन्य सहायकों को रोजगार दे सकता है। ऐसे व्यष्टि उद्यमों की इस बात की अत्यधिक संभावना है कि वे रोजगार का निर्माण कर सकते हैं और आर्थिक संवृद्धि के उत्तम चक्र बना सकते हैं। हम शहरी क्षेत्रों में व्यष्टि वित्त को सुगम होने के लिए कैसे समर्थ बना सकते हैं? यह आसान काम नहीं है। पहले हमें उपयुक्त रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। इस रूपरेखा का स्थानीयकरण करने, उसे आवश्यकतानुरूप बनाने, संदर्भगत करने की आवश्यकता है जिससे वह विभिन्न स्थानों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप हो, तथा विभिन्न समस्याओं का समाधान करे जैसे समष्टि नीतिगत परिवेश की सर्वोपरिता, व्यष्टि वित्त संस्थाओं की दीर्घकालिक वित्तीय धारणीयता, क्षमता-निर्माण और प्रभावी अभिशासन द्वारा लोकसंपर्क में वृद्धि, व्यापक आधार वाला अनुसंधान तथा निगरानी / मूल्यांकन। उसका शीर्षस्थ अन्य विकासात्मक प्राथमिकताओं, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर परिवेशगत मुद्दों से संबंधित प्राथमिकताओं को संबद्ध करना उसके अंगीकरण के लिए महत्वपूर्ण औचित्य होगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों के रूप में आर्थिक गतिविधि की मुख्य धारा में सीमांत से लोगों को लाने के महत्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है। वित्तीय अपवर्जन की चुनौती महानगरीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से सुविधारहित और निम्न आय समूहों के बीच व्याप्त है। द्वार पर बैंकिंग की उपलब्धता को शहरी गरीबों के अपवर्जित खंड तक सुसाध्य बनाने तथा सरकार और बैंकों के बीच समन्वयन हेतु एक संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए महानगरीय क्षेत्रों में 16 जिलों को अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपा गया है तथा इस प्रकार सारे देश को अग्रणी बैंक योजना के दायरे में लाया गया है और अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत कुल 659 जिलों को समाविष्ट किया गया है। पेरू के अर्थशास्त्री हेरनांडो डी सोतो ने एक स्पंदनशील अनौपचारिक क्षेत्र की सूचित न की गई और दर्ज न की गई

गतिविधि को प्रदर्शन-केस में रखा है जिनके सहभागी सीमांत पर रह गए थे। उसने सफलतापूर्वक कई छोटे उद्यमकर्ताओं का निर्माण किया, परंतु मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि उनके पास अपनी संपत्ति के वैध स्वामित्व का अभाव था जिससे उनके लिए न केवल ऋण प्राप्त करना, बल्कि कारोबार को बेचना अथवा उसका विस्तार करना भी कठिन हो गया था। वे न्यायालय में व्यावसायिक संघर्ष के लिए कानूनी उपाय भी अपेक्षित नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास वैध स्वामित्व नहीं था। आय के संबंध में सूचना का अभाव सरकारों को कर वसूल करने और जनकल्याण के लिए कार्य करने से रोक देता है। ''ऐसे भारी अपवर्जन की मौजूदगी दो समानांतर अर्थव्यवस्थाओं, वैध और विधिबाह्य को जन्म देती है। एक विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग मुख्य धारा की वित्तीय संस्थाओं, कानून और वैश्वीकरण के आर्थिक लाभ प्राप्त करता है जबकि उद्यमकर्ताओं का बहुमत गरीबी में अटक जाता है।'' वे उन्हें विधिबाह्य कहते हैं। अपना अस्तित्व बनाये रखने, अपनी आस्तियों की रक्षा करने और यथासंभव सीमा तक कारोबार करने के लिए विधिबाह्य लोग अपने स्वयं के नियम निर्मित करते हैं। परंतु चूँकि ये स्थानीय व्यवस्थाएँ पूरी तरह कमियों से युक्त हैं और आसानी से प्रवर्तनीय नहीं हैं, अतः उक्त विधिबाह्य लोग अपनी स्वयं की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं का निर्माण भी करते हैं जो समग्र रूप में समाज को प्रभावित करती हैं। व्यष्टि उद्यमों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि नीति-निर्माता इन मुद्दों पर उचित रूप से ध्यान दें। प्रधान मंत्री के कार्यदल (टीकेए नायर, 2010) ने व्यष्टि उद्यम क्षेत्र पर बल दिया है जो स्व-रोजगार के लिए अवसर उत्पन्न करता है तथा यह निर्धारित किया है कि एमएसई अग्रिमों का 60 प्रतिशत व्यष्टि उद्यमों को जाना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश की जीडीपी, विनिर्माण उत्पादन, निर्यातों और रोजगार उत्पादन में उल्लेखनीय अंशदान करते हैं। एमएसएमई देश की जीडीपी का 8 प्रतिशत, विनिर्मित उत्पादन का 45 प्रतिशत तथा हमारे निर्यातों का 40 प्रतिशत अंशदान करते हैं। एमएसएमई में श्रम और पूँजी अनुपत तथा एमएसएमई में समग्र संवृद्धि बड़े उद्योगों की तुलना में काफी अधिक है। एमएसएमई बेहतर ढंग से बिखरे हुए हैं। इन कारकों की दृष्टि से साम्य और समावेशन सहित संवृद्धि के राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एमएसएमई महत्वपूर्ण हैं। एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना के त्वरित अनुमानों के अनुसार यह अनुमान है कि उद्यमों की संख्या लगभग 26 मिलियन होगी तथा इनके द्वारा 60 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध किये जाने का अनुमान है। उक्त 26 मिलियन एमएसएमई में से केवल 1.5 मिलियन ही पंजीकृत खंड में हैं जबकि शेष 24.5 मिलियन (94 प्रतिशत) अपंजीकृत खंड में हैं। एमएसएमई का राज्य-वार वितरण यह दर्शाता है कि इनमें से 55 प्रतिशत से अधिक उद्यम 6 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, महराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हैं। कुछ एमएसएमई महिलाओं द्वारा स्वाधिकृत हैं जोकि असंगठित क्षेत्र है जिसमें उद्यम विशिष्ट रूप से स्वयं की निधियों अथवा गैर-संस्थागत स्रोतों से प्राप्त निधियों द्वारा स्थापित हैं, उनके पास प्रबंधकीय वृंद नहीं होता, विपणन के लिए स्थापित माध्यम नहीं होते तथा वे एक ही पारंपरिक तकनीक से केन्द्रित हैं। 94 प्रतिशत से अधिक एमएसएमई पंजीकृत नहीं हैं, जहाँ वे बड़ी संख्या में अनौपचारिक अथवा असंगठित क्षेत्र में स्थापित हैं। असंगठित क्षेत्र में स्थित उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनएसईयूएस) असंगठित क्षेत्र की परिभाषा 10 से कम कर्मचारियों को नियुक्त करनेवाले उद्यम के रूप में देता है। उसने ऐसे उद्यमों की संख्या के संबंध में 58 मिलियन पर अनुमान लगाया है जहाँ 104 मिलियन व्यक्तियों का रोजगार उत्पन्न किया गया है। पूँजी की कमी, विशेष रूप से कार्यशील पूँजी की कमी असंगठित क्षेत्र में स्थित उद्यमों द्वारा सामना की

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा व्यष्टि और लघु उद्यमों को ऋण

मार्च के अंतिम शुक्रवार को	एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण		एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में एमएसई ऋण
	खातों की संख्या (मिलियन)	बकाया राशि (बिलियन रुपये)	
1	2	3	4
2012	9.86	5,276.85	16.5
	(6.0)	(10.3)	
2013*	11.23	6,847.97	14.7
	(13.9)	(29.8)	

*: 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार।

टिप्पणी : 1. 2013 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

2. कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में वर्षानुवर्ष परिवर्तन को निर्दिष्ट करते हैं।

जा रही प्रमुख समस्या है। इसके अलावा, एनसीईयूएस द्वारा किये गये क्षेत्र अध्ययन से विदित होता है कि बाजारों का मौसमीपन एक और झंझट है। इस क्षेत्र की संवृद्धि की संभावना तथा विनिर्माण और मूल्य की शृंखलाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के अतिरिक्त, भारतीय एमएसएमई की भिन्नता और इनका असंगठित स्वरूप ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नीति-निर्माण और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र में स्थित व्यष्टि और छोटे उद्यमों के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम उनके बचे रहने की कार्यनीतियों का समाधान करें, यह आवश्यक है तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल-निर्माण और ऋण जैसे आजीविका विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में होना चाहिए। दूसरी ओर अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले एमएसएमई के लिए नीतियों/कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है कि वे संवृद्धि विपणन, कच्चे माल तक पहुँच, ऋण, कौशल-विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित समस्याओं का समाधान करें।

सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य 2015 तक गरीबी को आधा कम करना है। यदि यह लक्ष्य प्राप्त करना है, तो मूलभूत आवश्यकताओं को अधिक वहनीय बनाने के लिए आय में वृद्धि करने की कार्यनीतियों के द्वारा शहरी गरीबी को घेरती चिंताओं का समाधान करना सर्वप्रमुख है। यदि हमारे नगर दरिद्रता और अपराध के केन्द्र नहीं बनने चाहिए, तो इन समस्याओं का निवारण अत्यावश्यक रूप से करना अपेक्षित होगा।

शांतचित्त होकर सुनने के लिए धन्यवाद। विचार-विमर्श की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएँ।